कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1507 /11–सी– FP/UP/Rail/29433/2017, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 28 ,2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद–वाराणसी में इलाहाबाद–वाराणसी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हेतु प्रभावित 14.691 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्ष एवं 48 पौधे अर्थात कुल 101 वृक्ष एवं पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/07/03/2019/एफ0सी0/578, दिनांक 16.01.2019 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक–03/14–2–2019–800(187)/2018, दिनांक–18.01.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयॉकित प्रकरण में की गई आपत्तियों का निराकरण कर सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी ने अपने पत्रांक–2262/29–1, दिनॉक–25.01.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित सूचना/अभिलेखों की दो मूल प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया एक मूल प्रति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अलीगंज, लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

28।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– /11–सी– FP/UP/Rail/29433/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।
3. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बी0एस0बी0–इलाहाबाद डबलिंग प्रोजेक्ट, रेलवे विकास निगम लि0, वाराणसी।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2620